

कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, बदायूँ।

आदेश

जनपद न्यायालय अधिष्ठान में स्थित समस्त न्यायालयों के कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारीगण को आदेशित किया जाता है कि सामान्य नियमावली (अपराध) के नियम-63 के अंतर्गत जारी रिहाई आदेश निम्नांकित समय के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से केन्द्रीय नजारत के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें-

01.	शीतकालीन	केन्द्रीय नजारत में प्रेषित किये जाने का समय अपराह्न 03:30 बजे तक	जिला कारागार प्रेषित किये जाने का समय अपराह्न 04:00 बजे तक
02.	ग्रीष्मकालीन	केन्द्रीय नजारत में प्रेषित किये जाने का समय अपराह्न 04:30 बजे तक	जिला कारागार प्रेषित किये जाने का समय अपराह्न 05:00 बजे तक।

केन्द्रीय नाजिर आवश्यक कार्यवाही करें।

1-6-5.9.2024
जनपद न्यायाधीश,
बदायूँ।